

एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस की जावे। प्रतिपक्षीगण को आगामी पेशी दिनांक 07.01.2019 तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1613, 1614, 2212 वाके ग्राम क0निवाई तह. निवाई में राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथारिथति रखी जावे। तलबी अप्रार्थीगण की जाकर पत्रावली दिनांक 07.01.2019 को पेश हो।

336679
26-1-18

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला-टोंक

07.1.19

वकील प्रवीं उपा। प्रतिपक्षीगण को रुक-रुक कर बार-बार आवाज लगानी जारी बाद तामिल अनुपास्थित है। उक्त प्रतिपक्षीगण की वकील प्रवीं की वरत एकतरफा सुनी जागी। उक्त पत्र स्वीकार किया जाता है। दि. 26.11.18 को जारी T.O. को तामिल मूल बाद कंफर्म किया जाता है। पत्रावली फौजदारी नम्बर ले कर ही तथा शामिल मूल बाद ही।

07.1.19
उपखण्ड अधिकारी
निवाई